ब्बार व तारीख
काय जो इस हुक्म
... में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 41/2020/ 136 एलआरएक्ट

1. सुल्तानसिंह उर्फ शैतानराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी कैलाश तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. **श्री शिवपालसिंह वकील प्रार्थीगण की ओर से।**

नि र्ण य **दिनांक – 28.10.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 52, 41, 42, 44, 45, 74 वाके ग्राम जालूण्ड पटवार हल्का कैलाश तह0 दांतारामगढ जिला सीकर तथा कृषि भूमियां खंसरा नम्बर 203, 210, 211, 212, 214, 215, 295, 297/1076, 183, 209, 109, 110, 238, 239 ता 244, 256, 257, 74, 666, 691 वाके ग्राम कैलाश पटवार हल्का कैलाश तह0 दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित रही है। उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम शैतान राम पुत्र रूपाराम सा0 देह निवासी कैलाश चला आ रहा हैं तथा आवेदक का नाम अन्य रिकार्ड में आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र आदि में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों में सुलतान सिंह पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी कैलाश तह0 दांतारामगढ जिला सीकर चला आ रहा है। जिससे आवेदक को उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में अलग अलग नाम दर्ज होने से आवेदक के वैध हक अधिकारों पर कुठारघात हो रहा है। आवेदक को दोनों नामों से यथा सुल्तानसिह पुत्र रूपाराम एवं शैतान राम पुत्र रूपाराम से जाना एवं पुकारा जाता रहा है परन्तु आवेदक के उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड अन्य दस्तावेज में अलग अलग नाम दर्ज होने से उपरोक्त भूमियों पर दी जाने वाली सहायता किसी भी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी लाभ लेने से वंचित रहे है। जिससे आवेदकगण के वैध हक अधिकारों पर कुठारघात होकर अपूरणीय क्षति हो रही है। पटवारी हल्का से निवेदन किया की मेरा नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर दो तो माननीय न्यायालय में वाद दायर कर चाराचोही करने की हिदायत दी गयी है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 52, 41, 42, 44, 45, 74 वाके ग्राम जालूण्ड पटवार हल्का कैलाश तह0 दांतारामगढ जिला सीकर तथा कृषि भूमियां खंसरा नम्बर 203, 210, 211, 212, 214, 215, 295, 297/1076, 183,

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

209, 109, 110, 238, 239 ता 244, 256, 257, 74, 666, 691 वाके ग्राम कैलाश पटवार हल्का कैलाश तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में आवेदक का नाम शैतानराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर सुल्तानसिंह उर्फ शैतानराम पुत्र रूपाराम संशोधित कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि आवेदक का नाम शैतानराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर सुल्तानसिंह उर्फ शैतानराम पुत्र रूपाराम संशोधित कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि रूपा पुत्र बालु की विरासत ना0सं0 391 दिनांक 22.05.1992 को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नामा0 खोला गया जिसमें सुल्तान सिंह का नाम शैतानराम पुत्र रूपा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ जो आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में है। जबकि आवेदक मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड भामाशाह कार्ड बिजली बिल पैनकार्ड आदि में आवेदक का नाम सुल्तानसिंह पुत्र रूपाराम दर्ज है। आवेदक का नाम शैतानराम उर्फ सुल्तानसिंह पुत्र रूपाराम किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 52, 41, 42, 44, 45, 74 वाके ग्राम जालूण्ड पटवार हल्का कैलाश तह0 दांतारामगढ जिला सीकर तथा कृषि भूमियां खसरा नम्बर 203, 210, 211, 212, 214, 215, 295, 297/1076, 183, 209, 109, 110, 238, 239 ता 244, 256, 257, 74, 666, 691 वाके ग्राम कैलाश पटवार हल्का कैलाश तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में आवेदक का नाम शैतानराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर सुल्तानसिंह उर्फ शैतानराम पुत्र रूपाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ